भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.272

04 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय : फसलों का उत्पादन बढ़ाना

272. श्री चंद्र शेखर साहूः

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता-वर्धन के माध्यम से चावल, गेहूं, दालों, मोटे अनाजों और पोषक अनाज (मिलैट्स) के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 28 राज्यों और दो संघ राज्यक्षेत्र अर्थात् लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह की पहचान के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के बाद से इन जिलों में उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को कोई विशेष प्रशिक्षण दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इन जिलों में अब तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किए गए किसानों की संख्या कितनी है और इस संबंध अगले दो वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)</u>

(क) एवं (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का कार्यान्वयन देश मे 28 राज्यों एवं 2 संघ शासित प्रदेशों (यूटी) अर्थात जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख के चिह्नित जिलों में किया जा रहा है। 24 राज्यों के 194 जिलों एवं जम्मू व कश्मीर संघ शासित प्रदेशों में **एनएफएसएम-चावल**, 10 राज्यों के 126 जिलों एवं 2 संघ शासित प्रदेशो अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में **एनएफएसएम-गेहूं**, 28 राज्यों के 638 जिलों एवं 2 संघ शासित प्रदेशों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में **एनएफएसएम-दलहन**, 26 राज्यों के 269 जिलों एवं 2 संघ शासित प्रदेशों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में **एनएफएसएम-मोटे अनाज** (26 राज्यों के 237 जिलों एवं 2 संघ शासित प्रदेशों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख में मक्का तथा 4 राज्यों के 39 जिलों में जौ और 14 राज्यों के 202 जिलों में एनएफएसएम-न्यूट्री-

अनाजों (10 राज्यों के 88 जिलों में ज्वार, 9 राज्यों के 88 जिलों में बाजरा, 8 राज्यों के 44 जिलों में रागी तथा 7 राज्यों के 43 जिलों में अन्य कदन्न)। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश एवं 2 संघ राज्य प्रदेशों अर्थात् जम्मू व कश्मीर और लद्दाख को भी न्यूट्री-अनाज कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता दी गई है। जिलों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड है;

i. जिन जिलों में 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाती है किन्तु उपज राज्य औसत उपज से कम है, उन्हें एनएफएसएम- चावल और एनएफएसएम-गेहूँ के अतंर्गत चिह्नित किया गया है।
ii. हालांकि चावल के अतंर्गत कम से कम 5,000 हेक्टेयर वाले पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) के सभी जिलों को चिह्नित किया गया है1
iii. हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों और जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों में चावल एवं गेहूं के अंतर्गत कम-से-कम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र वाले जिलों को भी चिह्नित किया गया है।
iv. एनएफएसएम दलहन के अंतर्गत 28 राज्यों के सभी जिलों एवं 2 संघ राज्य प्रदेशों को शामिल किया गया है।
v. मोटे अनाजों (मक्का एवं जौ) के मामले में कुल मोटे अनाज क्षेत्र वाले राज्य का 70% कवर करने वाले जिलों को शामिल किया गया है।
vi. एनएफएसएम-न्यूट्री-अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी एवं अन्य छोटे कदन्न उगाने वाले सभी राज्यों को कवर किया गया है। हालांकि जिलों की पहचान के लिए केवल उन जिलों को चिह्नित किया गया है जिनके पास ज्वार, बाजरा के लिए 10,000 हेक्टेयर से अधिक तथा फिंगर मिलेट के लिए 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र तथा अन्य छोटे कदन्नों (फॉक्सटेल, बर्नयाई, कोदो, लिटिल/कुटकी एवं प्रोसो कदन्न) के लिए 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र है।

एनएफएसएम कार्यक्रम (2007-08) की शुरूआत से जिन राज्यों में फसलों की उत्पादकता में जिस सीमा तक वृद्धि हुई है उसका विवरण **अनुबंध-I** पर है।

(ग) से (ड.) जी हां। एनएफएसएम कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को नवीनतम फसल उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों की जानकारी प्रदान करने के लिए फसलन पद्धति आधारित प्रशिक्षण की सहायता प्रदान की जा रही है। प्रत्येक प्रशिक्षण में 4 सत्र होते हैं अर्थात् खरीफ एवं रबी मौसम की शुरूआत पर एक, खरीफ एवं रबी मौसम के दौरान प्रत्येक के लिए एक। यह प्रशिक्षण आईसीएआर संस्थानो/एसएयू/केवीके के फसल/विषय सबंधित विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण में 30 किसानों के समूह को प्रशिक्षित किया जाता रहा है।

वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन क्षेत्रों में प्रशिक्षित किए गए किसानों की संख्या के साथ-साथ वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य **अनुबंध-II** पर हैं।

अनुबंध-I

खाद्यान फसलों का राज्यवार उत्पादकता परिदृश्य:

क्र.सं.	राज्य	चावल		गेहूं		दलहन		पोषक व-मोटे अनाज	
		2007-08	2018-19*	2007-08	2018-19*	2007-08	2018-19*	2007-08	2018-19*
1	आंध्र प्रदेश	3344	3733	899	-	803	567	3336	4052
2	अरुणाचल प्रदेश	1275	-	1472	-	1078	-	1182	-
3	असम	1428	2086	1268	1465	558	725	680	2605
4	बिहार	1237	1902	2058	2922	818	898	2185	4335
5	छत्तीसगढ़	1446	1810	1059	1373	586	722	712	1523
6	गोवा	2330	-	-	-	991	-	2333	-
7	गुजरात	1942	2248	3013	3010	843	1023	1373	1946
8	हरियाणा	3361	3121	4158	4925	602	1019	1762	2002
9	हिमाचल प्रदेश	1546	1603	1376	1774	1062	2015	2689	2452
10	जम्मू और कश्मीर	2133	2096	1782	1702	508	709	1440	1615
11	झारखंड	2018	1889	1621	1831	736	784	1349	1810
12	कर्नाटक	2625	3011	946	1300	531	551	1829	1866
13	केरल	2310	2915	-	1429	857	924	636	1062
14	मध्य प्रदेश	938	2270	1612	2802	609	1135	1082	2483
15	महाराष्ट्र	1903	2204	1659	1666	746	616	1122	1074
16	मणिपुर	2246	-	-	-	497	-	2800	-
17	मेघालय	1882	-	1833	-	825	-	1391	-
18	मिजोरम	288	-	-	-	529	-	95	-
19	नगालैंड	1685	-	1067	-	1889	-	1499	-
20	ओडिशा	1694	1972	1554	1774	446	559	1219	1240
21	पंजाब	4019	4132	4507	5183	804	928	3311	3607
22	राजस्थान	2031	2291	2749	3501	401	622	1015	1209
23	सिक्किम	1636	-	1000	-	928	-	1452	-
24	तमिलनाडु	2817	3748	-	-	303	687	-	3709
25	तेलंगाना	-	3436	-	1596	-	835	1943	3388
26	त्रिपुरा	2633	-	1900	-	691	-	1000	-
27	उत्तर प्रदेश	2063	2704	2817	3432	731	1044	1454	2066
28	उत्तराखंड	2052	2354	2050	2880	794	893	1319	1310
29	पश्चिम बंगाल	2573	2906	2602	2859	793	944	2729	5656
अखिल भारत		2202	2659	2802	3507	625	806	1431	1954

*चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार

अनुबंध-II

तालिका 02: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों के प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
2016-17	496740	341640
2017-18	491070	362670
2018-19	454740	342180
2019-20	511530	362520*
2020-21	537107	-
2021-22	563962	-

*अब तक राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार

******